

डिक्री बमूकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 120/2024

वादी

1. रामनिवास पुत्र भंवरलाल
2. नेमाराम पुत्र भंवरलाल
3. मूला राम पुत्र भंवरलाल जातियान जाट निवासीगण खिंयाला तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र हरदीनराम
2. सन्तोष पुत्री भंवरलाल
3. ज्योति पुत्री भंवरलाल जातियान जाट निवासीगण खिंयाला तहसील जायल
4. रामचन्द्र पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी सिलनवाद तहसील लाडनू
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी 1 से 3 कि ओर से श्री चन्द्राराम बिडियासर एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री मुन्नीराम मालोदिया एडवोकेट

--: डिक्री आदेश :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मुन्नीराम मालोदिया एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिंगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 989 रकबा 5.3904 हैक्टेयर में से रकबा 5.0384 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 नेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 694 रकबा 3.3832 हैक्टेयर में से रकबा 1.7645 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार उत्तरी दिशा कि तरफ, एवं खसरा नम्बर 698 रकबा 1.7159 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 735 रकबा 1.8292 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 मूलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 700/2016 रकबा 4.7672 हैक्टेयर में से रकबा 4.0632 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पूर्वी दिशा की तरफ, खसरा नम्बर 615 रकबा 1.2464 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 989 रकबा 5.3904 हैक्टेयर में से रकबा 0.3520 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पश्चिमि दिशा कि तरफ,

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

- खसरा नम्बर 700/2016 रकबा 4.7672 हैक्टेयर में से रकबा 0.7040 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 रामचन्द्र के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 694 रकबा 3.3832 हैक्टेयर में से रकबा 1.6187 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार दक्षिणी दिशा कि तरफ रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
 6. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सन्तोष एवं ज्योति के आराजी भूमि में से वंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
 7. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।
 8. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

आज की तारीख लीज - मुवलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.09.15 को जारी किया गया



(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बदत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल